



छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल

द्वितीय तल, उद्योग भवन, रिंग रोड 1, रायपुर— 492 006

दूरभाष : (0771) 4224600, 4224611 फैक्स : (0771) 4066425 ई-मेल : visitcg@gmail.com

क. 2746 / यो. / प.मं. / 17

रायपुर, दिनांक 19 SEP 2017

अपरप्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध),
वन विभाग,
अरण्य भवन, जेल रोड
रायपुर

विषय:-

सूरजपुर वनमंडल अंतर्गत कुल 0.797 हेक्टेयर वन भूमि (संरक्षित वन के कक्ष क्रमांक 1531 में 0.621 हे. वन भूमि एवं खसरा नं. 275 में से 0.176 हे. राजस्व वन भूमि) के गैर वानिकी उपयोग हेतु (रोप वे) छ.ग.पर्यटन मंडल को उपयोग पर देने के लिए प्रस्ताव के आन लाइन पंजीयन एवं अन्य कार्यवाही विषयक।

—0—

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल द्वारा सूरजपुर जिले/के सूरजपुर वनमंडल अंतर्गत कुल 0.797 हेक्टेयर वन भूमि (संरक्षित वन के कक्ष क्रमांक 1531 में 0.621 हे. वन भूमि एवं खसरा नं. 275 में से 0.176 हे. राजस्व वन भूमि) के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन अंतर्गत प्रस्ताव का आन लाइन आवेदन किया जा रहा है।

कृपया अवगत होना चाहेंगे कि पर्यटन मंडल द्वारा प्रस्तावित वन भूमि 0.797 हेक्टेयर के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के पंजीयन अंतर्गत कलेक्टर, जिला सूरजपुर से “ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006” का प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है।

अतः कृपया प्रस्तावित 0.797 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव का आन लाइन पंजीयन करने का कष्ट करेंगे।

19/9/17
प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल
रायपुर, दिनांक

पृ.क. / यो. / प.मं. / 17
प्रतिलिपि—

1. कलेक्टर, जिला सूरजपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल सूरजपुर, जिला सूरजपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल